ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-3* June- 2021
Anthology : The Research

मानवाधिकार और महिलाएं : समकालीन परिदृश्य

Human Rights and Women: Contemporary Scenario

Paper Submission: 15/06/2021, Date of Acceptance: 23/06/2021, Date of Publication: 24/06/2021

पूनम बजाज
सहायक आचार्य,
स्माजशास्त्र विभाग,
चौधरी बल्लूराम गोदारा
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान, भारत

सारांश

मानवाधिकार किसी देश या राज्य की आंतरिक या घरेलू अधिकारिकता, किसी लिंग, जाति एवं धर्म के अन्तर्गत नही आते, बल्कि ये मानव को मानव होने के नाते दुनिया के किसी भी भाग में निवास करने के बावजूद प्रदत्त मानवीय अधिकार है।

मानवाधिकार का प्रश्न सम्पूर्ण मानवता के बुनियादी सरोकार से जुड़ा हुआ है, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों से पृथक नहीं किया जा सकता। दुनिया की आधी आबादी का सत्य हमारे समक्ष प्रतिदिन किसी न किसी भेदभाव के रूप में प्रकट होता रहता है अतः महिलाओं को 'महिला' होने के नाते किसी भी प्रकार के अधिकार से वंचित करना मानवाधिकारों की संकल्पना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है।

प्राचीनकाल से ही महिलाओं को कभी धर्म, कभी संस्कृति, कभी परम्पराओं, कभी प्रतिष्ठा, कभी समाज के नाम पर उसके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है और स्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब उसकी जैविकीय एवं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अयोग्य मानकर उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है। उसके अधिकारों का हनन तो जन्म से पूर्व ही मां के गर्भ से प्रारम्भ हो जाता है। स्त्री अपनी जिजिविषा के बलबूते पर जन्म लेती है और आगे बढती है लेकिन समाज के निम्न ही नहीं प्रत्यके वर्ग में उसके अधिकारों का हनन उसकी दोयम दर्जे का नागरिक मानकर किया जाता है।

प्रस्तुत पत्र में समकालीन समय में महिलाओं की स्थिति को विभिन्न संदर्भों यथा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है क्योंकि समय और काल के अनुसार भौतिक रूप से हम चाहें जितने भी विकसित हो जायें लेकिन मानवीयता के स्तर पर आज भी पिछड़े ही दिखाई देते है।

Human rights do not fall under the internal or domestic jurisdiction of any country or state, any gender, caste and religion, but they are human rights given to human beings irrespective of their residence in any part of the world.

The question of human rights is linked to the basic concern of all humanity, women's rights cannot be separated from human rights. The truth of half the world's population is revealed to us every day in the form of discrimination, so depriving women of any kind of rights as 'women' puts a question mark on the concept of human rights. Since ancient times, women have been deprived of their rights in the name of religion, sometimes culture, sometimes traditions, sometimes prestige, sometimes society and the situation becomes even more dire when they are considered unfit on the basis of their biological and physical characteristics. deprived of his rights. The infringement of her rights starts from the mother's womb even before birth. A woman takes birth and progresses on the strength of her survival, but her rights are violated by treating her as a second class citizen, not only in the lower classes of the society.

In the present paper, an attempt has been made to explain the status of women in contemporary times in various contexts such as social, religious, political, economic and cultural, because according to the time and time, we may develop as much as we want physically, but humanity Even today, the level of backwardness is visible.

मुख्य शब्द : मानवाधिकार, विधि, मूल अधिकार, संविधान, लैंगिकता, विमर्श, जागरूकता ।
Human Rights, Law, Fundamental Rights, Constitution, Sexuality, Controversy, Awareness.

प्रस्तावना

मानवाधिकार, अधिकार एंव मूल अधिकार से व्यापक अवधारणा है। अधिकार कुछ करने या रखने की स्वाधीनता है, जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित है।

मूल अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार है, जो किसी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है, जिसके बिना उसका विकास अवरूद्ध हो जाता है।

मानवाधिकार से तात्पर्य मानव समुदाय का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मानव को राष्ट्रीय, लिंग, जाति, वर्ण, सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय आदि के भेद के बिना प्राप्त उन समस्त अधिकारों से है, जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होते है। यह अधिकार मनुष्य को मनुष्य होने के नाते ही प्राप्त होने चाहिए चाहे इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था हो या न हो।

इस आधार पर महिला मानवाधिकार से तात्पर्य महिला को मानव होने के नाते उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो उसके व्यक्त्वि के विकास के लिए आवश्यक है।

प्राचीन समय में मानवाधिकार दिव्य माने जाते थे अर्थात ईश्वर प्रदत्त थे। धीरे–धीरे मनुष्य को उनके जंजीरों में जकड़ दिया गया। उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने अनेक प्रयास किये, अपनी आवाज उठाई क्योंकि स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति में निवास करने वाले सभी जीव स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। मानव के अपने सर्वागीण विकास एवं अस्तित्व की रक्षा के लिए भी स्वतंत्रता आवश्यक है इसका ही दूसरा रूप अधिकार है। मानव सभ्यता में लंबे समय तक उच्च व धनी वर्ग द्वारा सामान्य लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता रहा है, बाद में इसका विरोध शुरू हुआ तथा अधिकारों की मांग की गई। 200 वर्ष पूर्व फ्रांसिसी लेखक जीन जैक्स रूसो ने लिखा था ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहां रूसों ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधारण के स्वतंत्र होने बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा को व्यक्त किया था ।

अध्ययन का उददेश्य

प्रस्तुत पत्र का उद्देश्य मानव अधिकारों को महिलाओं के संदर्भ में समझाने का प्रयास करता है समकालीन समय में विकास और प्रगति की अनेकों स्थितियों के बीच एक महिला आज भी अपने अधिकारों के प्रति जद्दोजहद करती दिखाई देती है इसे हम शिक्षा की कमी जागरूकता ताकि कमी तथा हमारी परंपराओं में जकड़े समाज के संदर्भ के रूप में देखते हैं इस पत्र में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि एक महिला भी उतने ही अधिकार जन्म के स्थान प्राप्त करती है जितना एक पुरुष क्योंकि मानव अधिकार हमें मानव होने के नाते प्राप्त है ना की किसी और की स्थिति में।

मानवधिकारों पर चर्चा

प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में मानवता के घोर विनाश के पश्चात मानवीय कल्याण हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई । इस संस्था द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को सभी के लिए उपलब्धि का समान स्तर निर्धारित करने वाला मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा को पारित किया गया । इसलिए 10 दिसम्बर का दिन 'मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

यू.एन.ओ, द्वारा वर्ष 1975 को महिला वर्ष एवं 1975 से 1985 के दशक को महिला दशक मनाने की घोषणा की गई। समय–समय पर महिला अधिकार उन्नयन हेतु विभिन्न कनवेंशन एवं घोषणाओं के साथ–साथ संस्थानात्मक तंत्र विकसित किये गये। चार विश्व महिला सम्मेलनों द्वारा रणनीतियां तैयार की गई तथा सबसे महत्वपूर्ण कनवेंशन महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी (CEADAW) का नाम प्रमुख है। यह विश्व में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन की बात करता है। इस प्रकार महिला अधिकारों के हनन ने ही उसके लिए मानवाधिकार प्राप्ति की राह बनाई।[2]

लेनिन का यह कथन कि सर्वहारा वर्ग तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि महिलाओं के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाए। यदि महिलाओं को राजनीति में, सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता, उन्हें रसोई की घुटन से बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं होता, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता की बात करना असंभव होगा, जनवाद की स्थापना करना भी असंभव होगा, समाजवाद की बात तो दूर है।[3] इन्होंने नारी आंदोलन में मौजूद कई अवैज्ञानिक धारणाओं का भी विरोध किया। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का आशय स्वच्छन्दता (अराजकता) और पुरूष से मुक्ति का अर्थ यौन मुक्ति नहीं होता। अधिकार व्यक्ति को उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं सम्पूर्ण समाज के हित के लिए प्रदान किये जाते है अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रायोग इस प्रकार किया जावे कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ–साथ सम्पूर्ण समाज की भी उन्नति हो, लेकिन यह बात दुनिया की आधी आबादी के रूप में मौजूदा महिलाओं पर सही लागू नहीं होती। परिवार और समाज किसी भी देश के हो प्रत्येक स्थान की महिलाएं अलग–अलग समस्याओं से जूझती नजर आती है लेकिन उनके अधिकारों का हनन करने के लिए एक ही बात काफी है वह है उनका 'स्त्री होना'।

महिलाओं के अधिकारों के हनन की शुरूआत तो जैसा कि ऐजल्स [4] कहते है। मातृसत्ता के विनाश के साथ ही प्रारम्भ हो गया था । मातृसत्ता का विनाश नारी जाति की विश्व ऐतिहासिक महत्व की पराजय था। अब घर के अन्दर भी पुरूष ने अपना आधिपत्य जमा लिया। नारी पदच्युत कर दी गई। वह जकड़ दी गई। वह पुरूष की

वासना की दासी, संतान उत्पन्न करने का एक यंत्र मात्र बनकर रह गई। बाद में धीरे–धीरे तरह–तरह के आवरणों से ढक कर और सजाकर तथा आंशिक रूप में थोडी नरम शक्ल देकर उसे पेश किया जाने लगा।

भारतीय परिदृश्य में स्त्री

मनव सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में होता रहा। लेकिन विश्व के सभी देशों के प्रत्येक भाग में नारी की स्थिति दोयम दर्जे की ही रही।

भारतीय संस्कृति को देखें तो प्राचीन काल में नारी को एक महान शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। वैदिक काल में नारी सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में पुरूष की सहभागिनी रहती थी। माता का स्थान उच्च था। माता गर्भधारण कर पहले बच्चे का निर्माण करती और जन्म लेने के बाद पालन–पोषण करती है। अच्छे–बुरे के ज्ञान एवं उत्तम शिक्षा के द्वारा उसके भविष्य की निर्मात्री बनती है। जिस देश के स्त्रियां शक्ति एवं अपनी संस्कृति की प्रतीक थी, उनकी अस्मिता खतरे में आ गई थी। मुगलों की सत्ता समाप्ति के साथ ही अंग्रेजी की संस्कृति खतरे में आ गई थी। मुगलों की सत्ता समाप्ति के साथ ही अंग्रेजों की संस्कृति हमारी संस्कृति को कमजोर करने लगी। इस समय स्त्री सारे अधिकारों से वंचित हो चुकी थी एवं मात्र भोग्य बनकर रह गई थी। भारत की सामाजिक मान्यताओं और परम्पराओं को धार्मिक बंधनों से जकड़ दिया गया और उन्हें अधिकारहीन कर दिया गया। पुरूष सत्ता की आज्ञा पालन उनका सबसे बड़ा धर्म माना गया। परिवार की धुरी, समाज की महत्वपूर्ण कड़ी, स्त्री, अनके दायित्वों को कुशलता से निभाते हुए अधिकारों से वंचित रही।[5]

भारतीय संदर्भ में जब महिला मानवाधिकारों की चर्चा की जाती है तो यह माना जाता है कि नारी अधिकारों का विमर्श पश्चिम की देन है तथा यह भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में विपरीतार्थक है। प्रो. आशा कौशिक [6] के अनुसार यह सच है कि महिला अधिकार आंदोलन व्यापक संगठित स्तर पर यूरोप एवं अमरीका में प्रारम्भ हुए बाद में एशिया और अफ्रीका के देशों में फैले। भारतीय संदर्भ में नारी समानता एंव अधिकरों के लिए किये गये अनेकानेक प्रयासों, सुधार आंदोलनों, महिला आंदोलनों एवं व्यक्तिग योगदानों का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया है।

संवैधानिक स्थिति

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सर्वप्रथम स्थान आता है– भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। कानून की नजर में सभी बराबर है तथा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में महिलओं को बराबरी का अधिकार तथा दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को इस जनता को समर्पित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 21, 21ए, 40, 42, 47, 51क, 13, 234 आदि में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये गये है। [7]

इसके अतिरिक्त महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए विभिान्न अधिनियम पारित किये गये, जो महिलाओं को सशक्त बनाते हैं–

1. कारखाना अधिनियम–1948
2. खान अधिनियम–1952
3. कर्मचारी राज्य बीमा विनियम
4. विशेष विवाह अधिनियम–1952
5. हिन्दु विवाह अधिनियम–1955
6. उत्तराधिकार अधिनियम–1956
7. हिन्दू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम–1956
8. हिन्दू अव्यस्क व संरक्षकता अधिनियम–1956
9. अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम–1956
10. प्रसूति सुविधा अधिनियम–1961
11. दहेज निषेध अधिनियम–1961
12. ठेका श्रम अधिनियम–1970
13. चिकित्सीय गर्भपात तकनीक निषेध अधिनियम–1971
14. दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973
15. समान पारिश्रमिक अधिनियम–1976
16. समान पारिश्रमिक अधिनियम–1986
17. वेश्यावृति निवारण संशोधित अधिनियम–1986
18. घरेलू हिंसा अधिनियम–2005
19. सम्पत्ति में समान अधिकार संशोधित अधिनियम–2004

प्रकाश नारायण नाटाणी [8] के शब्दों में संविधान इस बात को मानता है कि महिलाओं को पारम्परिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा हीन समझा गया है इस अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान, सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। लेकिन आज भी महिलांए अपने अधिकारों से वंचित है। जागरूकता व शिक्षा के भाव में आम महिला के साथ पारिवारिक स्तर पर भी सब कुछ ठीक–ठाक नहीं है। शिक्षा, जानकारी और जागरूकता का अभाव महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचते करने में सबसे बड़ी बाधा है।

अधिकारो का हनन आज तक भी

स्वायत महिला–समूहों का छठा सम्मेलन (दिसम्बर,1997) में राची में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पारित घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातों को यदि देखा जाये तो पता चलता है कि महिलाओं के अधिकारों का किस–किस प्रकार से हनन होता रहा है–

हम कहना चाहेंगी कि औरतें पुरूषों से निम्न या कमजोर नहीं होती। समाज ने जैविक अन्तर का इस्तेमाल स्त्री/पुरूष के बीच एक क्रमबद्ध और अत्याचारी संबंध बनाने के लिए किया है। औरत होने के नाते हुए सब एक प्रबल वर्ग, जाति और पितृसत्तात्मक ढांचे के शोषण और दमन की शिकार है। घर और बाहर लिंग, आधारित काम के बंटवारे से हमारे श्रम पर नियंत्रण किया गया है।

इसके अलावां हमारे शरीर को बाजारू व एक उपभोग की वस्तु बना दिया गया है। परिवार, बाजार, मीडिया, शिक्षा, धर्म तथा कानूनी संस्थाएं इस उत्पीड़न को मजबूत करने में सहायता करती है। हम वर्षों से महिलओं संबंधी विशेष विषयों जैसे बलात्कार, दहेज हत्या, लिंग जांच, मादा–भ्रूणों का गर्भपात, परिवार, नियोजन कार्यक्रम की जबरदस्ती अश्लील साहित्य आदि को संबोधित करते

आ रहे है। इस आंदोलन ने पर्यावरण, आवास आदि मुद्दे महिलाओं से संबंधित है और हम विषय को औरतों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।[9]

महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास अधुरा माना जाता है लेकिन मौजूदा विकास मॉडल की विकृति यह है कि औरतों के विकास के लिए बने कार्यक्रमों तक में औरतों के श्रम का शोषण हो रहा है। यही नहीं आज बढ़ते हुए बाजारवाद एवं उपभोक्तावाद दृष्य संचार माध्यमों के व्यापक फैलाव ने मिलकर औरतों के अष्लील प्रदर्शन व वस्तुकरण को प्रोत्साहन दिया है। बहुत सी औरते कम तनख्वाह पर अनेंक तरह के कार्य कर रही है। औरते अपने शरीर और स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने की दिशा में संघर्ष कर रही है, क्योंकि वे जानने लगी हैं कि स्वस्थ होने का अर्थ केवल रोग की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि इसमें व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बेहतरी भी शामिल है। ये सभी बातें उनके अधिकारों के हनन की ओर ही संकेत करती है। स्त्रियों को मूल रूप से गृहणियों और प्रजननकर्ता के रूप में ही देखा गया और उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये अपने जीवन, शरीर, लैंगिकता और आत्मीय संबंधों के संबंध में चुनाव कर पाने के अधिकार की मांग करती है। वे उन भेदभावों के खिलाफ जो उन्हें सामाजिक, मानसिक तौर पर कमजोर करते हैं, इससे भी अधिक शारीरिक भेदभावों के खिलाफ जिनसे उनका स्वास्थ्य स्तर गिर रहा है, हानिकारक प्रजनन तकनीकों के नुकसान, शारीरिक अत्याचार, और उन्हें जरूरत के समय न मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ आवाज उठा रही हैं।[10]

स्त्री अनेक समस्याओं चाहें वे परम्परात्मक हो या आधुनिक, ग्रामीण हो या नगरीय के खिलाफ अपने अस्तित्व और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। ग्रामीण समाज में भूमिहीन श्रमिक स्त्री नाममात्र मजदूरी प्राप्त कर सुबह से शाम तक काम करती है। ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं की दशा और स्थिति आज भी शोचनीय है। यौन शोषण और बलात्कार की घटनाएं अनेकों हैं। घरेलू हिंसा आम बात है। अशिक्षित होने के कारण ने तो उसके पास आत्मबल है और न सामाजिक चेतना ।

एक बहुत बड़ा परिवर्तन पंचायती राज में 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने से आया है लेकिन यहां भी क्षेत्र विशेष में लघु शोध कार्य के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरक्षण के कारण गांव के रसूख वाले लोग निम्न जाति की महिला को जीत दिलवा देते है और फिर सभी कार्यों में दखलांदाजी करते हैं उसे विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करते हैं।

नगरीय समाज में स्त्रियां विभिन्न प्रकार के रोजगार कार्यों में लगी हुई है किसी भी स्थान पर पूर्णतया सुरक्षित महसूस नहीं करती है इस कारण को लेकर विशाका बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 3011 का इस संबंध में महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में उच्चत्तम न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये।[11]

अधिकारो का हनन आज तक भी

इन सारी घटनाओं और मानवाधिकारों के विकास के कालक्रम में यह समझा जा सकता है कि आज की नारी शिक्षा प्रणाली ने उसे अस्मिता बोध दिया है, स्वावलम्बन भी [12] वह अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुई है। अपने व्यक्तिगत जीवन स्तर एवं अहम का स्तर बढ़ाती हुई दिखाई देती है। आज नारी की परिस्थिति के उन विविध पक्षों का ध्यान दिया जाने लगा है और उन्हें हानि पहुंचाने वाले तत्त्वों के विरूद्ध कार्यवाहियां भी होने लगी है। अनके कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें अनेक अधिकारों की जानकारी प्रदान की जाने लगी है, अभी भी आवश्यकता है तो इस बात की, कि महिला समस्याओं को लैंगिक समस्या के रूप में न देखकर मानव अधिकार के संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि स्त्री एवं पुरूष विश्व रचना के दो पहिए है और उनका संतुलन ही परिवार और समाज के संतुलन का आधार है।

निष्कर्ष

समकालीन समय में महिलाओं ने अनेकों क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है अनेकों समस्याओं से जूझते हुए वह बहुत सी समस्याओं से बाहर निकलकर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रही है एक मानव होने के नाते स्त्री को भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो समाज के अन्य सदस्यों को और यह बात धीरे धीरे ही सही स्त्री समझ रही है जागरूक हो रही है शिक्षा प्राप्ति के द्वारा रोजगार के विभिन्न अवसरों उपलब्धता ने उसमें एक स्वाभिमान भरा है और अनेकों सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों द्वारा वह अपने अधिकारों को ना केवल जान रही है बल्कि उनके लिए लड़ भी रही है लेकिन यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शैलेन्द्र मौर्य, महिला मानवाधिकार–ज्वलन्त मुद्दे एवं प्रमुख व्यवस्थाएं, 2. आविष्कार पब्लिशर्स, जयपर, 2012*
2. *शैलेन्द्र मौर्य, भारत में महिला मानवाधिकार, प्रमुख्य चुनौतियां, 76, पॉइन्टर पब्लिशर्स जयुपर, 2013*
3. *पूजा शर्मा, महिलाएं एवं मानवाधिकार, 19, सागर पब्लिशर्स, जयपुर 2012*
4. *फ्रेडरिक ऐंजल्स, परिवार, निजी सम्पति और राज्य की उत्पत्ति, 71,ग्रंथ शिल्पी प्रा.लि.,नई दिल्ली 2008*
5. *श्रीमती पूजा शर्मा, महिलाएं एवं मानवाधिकार, 60, सागर पब्लिशर्स, जयपुर 2012*
6. *आशा कौशिक, नारी सषक्तीकरण, विमर्ष एवं यथार्थ, 35 पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2011*
7. *शैलेन्द्र मोर्य,भारत में महिला मानवाधिकार, प्रमुख्य चुनौतियां, 76–77 पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2013*
8. *प्रकाष नारायण नाटाणी, महिला एवं बाल विकास के नूतन आयाम, 112, माया प्रकाशन मन्दिर, जयुपर 2004*
9. *पूजा शर्मा, महिलाएं एवं मानवाधिकार, 24 पब्लिशर्स, जयपुर 2012*
10. *साधना आर्य, निवेदिता मेनन और जिनी लोकनीता (संपा), नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे,213, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,दिल्ली, 2010*
11. *वी.एन सिंह और जनमेय, आधुनिक और नारी सशक्तीकरण,91–92, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2010*
12. *एम.ए. असारी, महिला और मानवाधिकार, 128, ज्योति प्रकाश, जयपुर, 2014*